

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248605 CG-DL-E-06092023-248605

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] No. 509] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945

सहकारिता मंत्रालय

(सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 650(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहकारिता मंत्रालय के अधीन सहकारी सिमितियों के केंद्रीय रिजस्ट्रार कार्यालय में अपर रिजस्ट्रार, संयुक्त रिजस्ट्रार, उप-रिजस्ट्रार, सहायक रिजस्ट्रार, ज्येष्ठ सहकारिता अधिकारी और किनष्ठ सहकारिता अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहकारिता मंत्रालय, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, ज्येष्ठ सहकारिता अधिकारी और किनष्ठ सहकारिता अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संबध स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.-वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1) 1.अपर रजिस्ट्रार	(2) 2' (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 13 (123100- 215900 रुपए)	(5) चयन ।	(6) लागू नहीं होता	(7) लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मर्ती की पद्धित, मर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नितः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में ऐसे संयुक्त

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। रजिस्ट्रार (सहकारिता) में से जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों या राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:-

अर्हता:

निम्नलिखित में मास्टर डिग्री

- (i) विधि; या
- (ii) कृषि; या
- (iii) बैंककारी; या
- (iv) बैंककारी एवं वित्तीय प्रबंधन; अथवा
- (v) बैंककारी एवं वित्त; या
- (vi) चार्टर्ड अकाउंटेंसी; या
- (vii) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या
- (viii) ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन; या
- (ix) सहकारिता; या
- (x) सहकारिता प्रबंधन; या
- (xi) सहकारिता एवं बैंककारी; या
- (xii) कृषि अर्थशास्त्र; या
- (xiii) अर्थशास्त्र; या
- (xiv) वाणिज्य; या
- (xv) सांख्यिकी; या
- (xvi) लोक-प्रशासन; या
- (xvii) लोक-नीति या
- (xviii) समाज कार्य; अथवा
- (xix) ग्रामीण प्रबंधन या संवहनीय ग्रामीण प्रबंधन या कृषि-व्यवसाय प्रबंधन या लोक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

निम्नलिखित में दस वर्ष का अनुभव,

- (i) सहकारी क्षेत्र; या
- (ii) प्रबंधन या ग्रामीण विकास; या
- (iii) प्रबंधन या सहकारी बैंककारी; या

(iv) वित्त; या
(v) लेखा; या
(vi) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; अथवा
(vii) कृषि अर्थशास्त्र ।
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीर्ध पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचा किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी व किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किर अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच व से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेव प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) जो निम्निलिखित से मिल कर बर्नेगी: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय - सदस्य।	प्रोन्नति के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की छूट दी गई है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. संयुक्त रजिस्ट्रार	6* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78800-209200 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

/	
हीं होता	लागू नहीं होता
	हीं होता

(10)	(11)
(i) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	प्रोन्नतिः वितन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे उप-रजिस्ट्रार में से जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऐसे अधिकारी-,

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:-

अर्हता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में मास्टर डिग्री-

- (i) विधि; या
- (ii) कृषि; या
- (iii) बैंककारी; या
- (iv) बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंधन; या
- (v) बैंककारी एवं वित्त; या
- (vi) चार्टर्ड अकाउंटेंसी; या
- (vii) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या
- (viii) ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन; या
- (ix) सहकारिता; या
- (x) सहकारिता प्रबंधन; या
- (xi) सहकारिता एवं बैंककारी; या
- (xii) कृषि अर्थशास्त्र; या
- (xiii) अर्थशास्त्र; या
- (xiv) वाणिज्य; या
- (xv) सांख्यिकी; या
- (xvi) लोक-प्रशासन; या
- (xvii) लोक-नीति; या
- (xviii) समाज कार्य; अथवा
- (xix) ग्रामीण प्रबंधन या संवहनीय ग्रामीण प्रबंधन या कृषि-व्यवसाय प्रबंधन या लोक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा:

अनुभव: निम्नलिखित में आठ वर्ष का अनुभव,

- (i) सहकारी क्षेत्र; या
- (ii) सहकारी बैंककारी; या
- (iii) सहकारी वित्त; या
- (iv) सहकारी समितियों की बुक कीर्पिंग एवं अकाउंटिंग; या
- (v) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या
- (vi) कृषि अर्थशास्त्र; अथवा
- (vii) ग्रामीण विकास ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के	प्रोन्नति के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा
लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:	आयोग से परामश करना आवश्यक हा
" 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय - सदस्य;	आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की छूट दी गई है।
3. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय - सदस्य।	SECRETARION OF THE SECRETARION O

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप- रजिस्ट्रार	6' (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11 (67700 - 208700 रुपए)	चयन	आयु चालीस वर्ष से अनिधक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा-जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्रों में निवास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)
अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित में मास्ट डिग्री-, (i) विधि; या (ii) कृषि; या (iii) बैंककारी; या (iv) बैंककारी एवं वित्तीय प्रबंधन; या (v) बैंककारी एवं वित्त; या (vi) चार्टर्ड अकाउंटेंसी; या (vii) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या (viii) ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन; या	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा ।

	· ·		
١	(ix) सहकारिता:	या

- (x) सहकारिता प्रबंधन; या
- (xi) सहकारिता एवं बैंककारी; या
- (xii) कृषि अर्थशास्त्र; या
- (xiii) अर्थशास्त्र; या
- (xiv) वाणिज्य; या
- (xv) सांख्यिकी; या
- (xvi) लोक-प्रशासन; या
- (xvii)लोक-नीति; या
- (xviii) समाज कार्य; अथवा
- (xix) ग्रामीण प्रबंधन या संवहनीय ग्रामीण प्रबंधन या कृषि-व्यवसाय प्रबंधन अथवा लोक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

अनुभव:

निम्नलिखित में पांच वर्ष का अनुभव,

- (i) सहकारी क्षेत्र; या
- (ii) सहकारी बैंककारी; या
- (iii) सहकारी वित्त; या
- (iv) सहकारी समितियों की बुक कीर्पिंग एवं अकाउंटिंग; या
- (v) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या
- (vi) कृषि अर्थशास्त्र; अथवा
- (vii) ग्रामीण विकास ।

(10)	(11)
(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति द्वारा :
(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में उप पंजीयकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा
E	पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):
	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वालों व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनयुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रितिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रितिनयुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रितिनयुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी:	लोक सेवा आयोग से परामश करना आवश्यक हो
 संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय - अध्यक्ष; संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय - सदस्य; निदेशक या उप सचिव, सहकारिता मंत्रालय - सदस्य। 	प्रोन्नित एवं प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की छूट दी गई है।
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जे निम्निलिखित से मिल कर बनेंगी: 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय - सदस्य;	
3. निदेशक या उप सचिव, सहकारिता मंत्रालय - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 4. सहायक रजिस्ट्रार	(2) 6' (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(3) साधार केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100- 177500 रुपए)	(5)	आयु पैंतीस वर्ष से अनिधक। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा-जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार

द्वीप तथा लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्रों में निवास क वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	रने
and an array of the	

(7)	(8)	(9)
अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित में मास्टर डिग्री	लागू	दो वर्ष।
(i) विधि; या	नहीं होता।	टिप्पण: केन्द्रीय
(ii) कृषि; या	Gran	सरकार द्वारा यथाविहित
(iii) बैंककारी; या		परिवीक्षा अवधि
(iv) बैंककारी एवं वित्तीय प्रबंधन; या		को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए
(v) बैंककारी एवं वित्त; या		कम से कम दो
(vi) चार्टर्ड अकाउंटेंसी; या		सप्ताह का अनिवार्य प्रारंभिक
(vii) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या		प्रशिक्षण
(viii) ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन; या		होगा।
(ix) सहकारिता; या		
(x) सहकारिता प्रबंधन; या		
(xi) सहकारिता एवं बैंककारी; या		-
(xii) कृषि अर्थशास्त्र; या		
(xiii) अर्थशास्त्र; या		
(xiv) वाणिज्य; या		
(xv) सांख्यिकी; या		
(xvi) लोक-प्रशासन; या		
(xvii)लोक-नीति; या		
(xviii) समाज कार्य; अथवा		
(xix) ग्रामीण प्रबंधन या संवहनीय ग्रामीण प्रबंधन या कृषि-व्यवसाय प्रबंधन अथवा लोक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;		
अनुभव:		
निम्नलिखित में तीन वर्ष का अनुभव-		
(i) सहकारी क्षेत्र; या		
(ii) सहकारी बैंककारी; या		1
(iii) सहकारी वित्त; या		
(iv) सहकारी समितियों की बुक कीर्पिग एवं अकाउंटिंग; या		
(v) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या		
(vi) कृषि अर्थशास्त्र; अथवा		
(vii) ग्रामीण विकास		

(10)	(11)
(i) सड़सठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति द्वारा :
(ii) तैंतीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900–142400 रुपए) में ज्येष्ठ

पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। सहकारिता अधिकारियों में से जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासोंन या पिट्टिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऐसे अधिकारी-.

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)(12)समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा से मिल कर बनेंगी: आयोग से परामर्श करना आवश्यक अध्यक्ष: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय सदस्य: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत 3. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय सदस्य । अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार समृह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की छूट दी गई कर बनेंगी: 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय अध्यक्ष:

2.	संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय	cz.	सदस्य;	
3.	निदेशक या उपसचिव (कार्मिक), सहकारिता मंत्रालय		सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. ज्येष्ठ सहकारिता अधिकारी	6° (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपए)।	चयन।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा । (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।	प्रोक्ति द्वाराः वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) के ऐसे कनिष्ठ सहकारिता अधिकारियों में से जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सहकारी विकास या प्रबंधन या ग्राविण विकास या प्रबंधन या सहकारी वैंककारी या वित्त या लेखा या कृषि व्यवसाय प्रबंधन अथवा कृषि अर्थशास्त्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा काधि से अर्थिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्तित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)-केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पिलक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास विकासों या राज्य सहकारी वैंकों के ऐसे अधिकारी-, (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) के पर पर नियमित सोवा की हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:-किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखत में बैचलर की डिग्री- (i) विधि; या (ii) कृषि; या (iii) बैंककारी एवं वित्तीय प्रबंधन; या (v) बैंककारी एवं वित्तीय प्रबंधन; या (vi) चार्टर अन्तरारेंदी; या (vii) कृषि-व्यवसाय प्रवंधन; या (viii) ग्रामीण विकास प्रवंधन; या (viii) ग्रामीण विकास प्रवंधन; या (viii) प्रामीण विकास प्रवंधन; या

	(x) सहकारिता प्रबंधन; या
	(xi) सहकारिता बैंककारी; या
	(xii) कृषि अर्थशास्त्र; या
	(xiii) अर्थशास्त्र; या
	(xiv) वाणिज्य; या
	(xv) सांख्यिकी; या
	(xvi) लोक-प्रशासन; या
	(xvii) लोक-नीति; या
	(xviii)समाज कार्य
	अनुभव:
	निम्नलिखित में दो वर्षों का अनुभव-
4	(i) सहकारी क्षेत्र; या
	(ii) सहकारी बैंककारी; या
	(iii) सहकारी वित्त; या
	(iv) सहकारी समितियों की बुक कीर्पिंग एवं अकाउंटिंग; या
	(v) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या
	(vi) कृषि अर्थशास्त्र; अथवा
	(vii) ग्रामीण विकास ।
	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीर्ध पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नर्ह होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचा किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन य विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य प पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
l¥.	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंति तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)	
(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लि से मिल कर बनेगी:-	ए) जो निम्नलिखित	लागू नहीं होता।	
1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय	- अध्यक्ष;		
संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय	- सदस्य;		
 निदेशक या उप सचिव (कार्मिक), सहकारिता मंत्रालय 	- सदस्य ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कनिष्ठ सहकारि ता अधिकारी	6' (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	आयु तीस वर्ष से अनिधिक। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्रार् करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर

	नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा-जिले के पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्रों में निवास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--

(7)	(8)	(9)		
अर्हता;	लागू	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित में	नहीं होता	टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने		
स्नातक की डिग्री,-	6	के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य		
(i) विधि; या		प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा		
(ii) कृषि; या				
(iii) बैंककारी; या				
(iv) बैंककारी एवं वित्तीय प्रबंधन; या				
(v) बैंककारी एवं वित्त; या		ž-		
(vi) चार्टर्ड अकाउंटेंसी				
(vii) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन; या				
(viii) ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन; या				
(ix) सहकारिता; या				
(x) सहकारिता प्रबंधन; या				
(xi) सहकारिता एवं बैंककारी; या				
(xii) कृषि अर्थशास्त्र; या				
(xiii) अर्थशास्त्र; या				
(xiv) वाणिज्य; या				
(xv) सांख्यिकी; या				
(xvi) लोक-प्रशासन; या				
(xvii) लोक-नीति; या				
(xviii) समाज कार्य				

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है:	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।	

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	जो निम्नलिखित से	लागू नहीं होता।
मिल कर बनेंगी:		
1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सहकारिता मंत्रालय	- अध्यक्ष;	
2. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय	- सदस्य;	
3. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक), सहकारिता मंत्रालय	- सदस्य।	

[सं. ए-48012/33/2022- प्रशा. (सीआरसीएस)]

आलोक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

(Office of Central Registrar of Cooperative Societies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

- G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Senior Cooperative Officer and Junior Cooperative Officer in the office of the Central Registrar of Cooperative Societies under the Ministry of Cooperation namely:-
- Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Cooperation, Office of Central Registrar of Cooperative Societies, Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Senior Cooperative Officer and Junior Cooperative Officer (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.**-These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classifications and level in pay matrix.-The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification.-No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Savings.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts		matrix.	selection	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Additional	2* (2023)	General Central	Level-13 in the	Selection.	Not	Not applicable.	
Registrar.	*Subject to	Services, Group	pay matrix		applicable.		
	variation	'A', Gazetted,	(Rs.123100-				
	dependent on	Non-	215900).				
	workload.	Ministerial.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	if any.	whether by direct recruitment	promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	(10) By promotion, failing which by deputation (including short term contract)	Promotion: From amongst Joint Registrar (Cooperation) in level -12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed training of four weeks in the area of cooperation. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research Institutions or Autonomous or Statutory Organisations or National Bank for Agriculture and Rural Development or State Cooperative Banks or District Central Cooperative Banks. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade
			(a)(i) holding analogous posts on regular basis the parent cadre or department; or

Oualification;					
Master's	Degree in				
(i)	law; or				
(ii)	agriculture; or				

- (ii)
- banking; or (iii)
- banking and financial management; or (iv)

- banking and finance; or (v)
- Chartered Accountancy; or (vi)
- (vii) agri-business management; or
- rural development and management; or (viii)
- (ix) cooperation; or
- cooperative management; or (x)
- cooperation and banking; or (xi)
- agricultural economics; or (xii)
- economics; or (xiii)
- (xiv) commerce; or
- statistics; or (xv)
- (xvi) public administration; or
- (xvii) public policy or
- (xviii) social work; or
- rural diploma in (xix) post graduate management or sustainable rural agri-business management OT management or public policy from a recognised University;

Experience;

Ten years experience in,

- (i) cooperative sector; or
- (ii) management or rural development; or
- (iii) management or cooperative banking; or
- (iv) finance; or
- (v) accounts; or
- (vi) agri-business management; or
- (vii) agriculture economics.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including shortterm contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The Maximum age-limit for appointment shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committed its composition	e exists, what is	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.			
(12)		(13)			
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Cooperation - Member; 3. Joint Secretary Ministry of Cooperation - Member.		Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up post by Promotion. In case of Deputation (including short term contra consultation with Union Public Service Commission has be exempted.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint	6* (2023)	General Central	Level -12 in the	Selection.	Not	Not
Registrar.	* Subject to	Services, Group 'A', pay matrix			applicable.	applicable.
	variation dependent	Gazetted, Non-	(Rs. 78800-			
	on workload.	Ministerial.	209200).			

(8)	(9)	(10)	(11)
(8) Not applicable.		(i) By deputation (including short term contract)-fifty per cent. (ii)By promotion failing which by deputation (including short term contract - fifty per cent.	Promotion: From amongst Deputy Registrar in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed training of four weeks in the area of cooperation.

18	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]
	(iii) banking; or
	(iv) banking and financial management; or
	(v) banking and finance; or
	(vi) Chartered Accountancy; or
	(vii) agri-business management; or
	(viii) rural development and management; or
	(ix) cooperation; or
	(x) cooperative management; or
	(xi) cooperation and banking; or
	(xii) agricultural economics; or
	(xiii) economics; or
	(xiv) commerce; or
	(xv) statistics; or
	(xvi) public administration; or
	(xvii) public policy or
	(xviii) social work; or
	(xix) post graduate diploma in rural management or sustainable rural management or agri-business management or public policy from a recognised University;
	Experience:
	Eight years experience in,-
	(i) cooperative sector; or
	(ii) cooperative banking; or
1	(iii) cooperative finance; or
	(iv) book keeping and accounting of cooperative societies; or
1	(v) agri business management; or
	(vi) agri economics; or
	(vii) rural development.
	Note 1: The departmental officers in the feede
	category who are in the direct line or promotion shal not be eligible for consideration for appointment or deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion
	Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post hel
	immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Centra Government shall ordinarily not exceed four years.
	Note 3: The maximum age- limit for appointment be deputation shall be not exceeding fifty six years as of the closing date of applications.

12		13	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Consultation with Union Public Service Commissi is necessary for filling up post by Promotion.	
Chairman/Member, Union Public Service Commission	- Chairman;	In case of Deputation (including short term contract) consultation with Union Public Service Commission	
2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Cooperation	- Member;	has been exempted.	
Joint Secretary, Ministry of Cooperation	- Member.		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.		6* (2023)	General	Level-11 in		Not exceeding forty	Qualification;
	Registrar.	* Subject	Central	the pay		years of age	Master's Degree in
		to	Services,	matrix		relaxable for the	(i) law; or
		variation	Group 'A',	(Rs. 67700-		Government	(ii) agriculture; or
		dependent	Gazetted.	208700).		servants upto five	(iii) banking; or
		on	Non-			years in accordance	(iv) banking and
		workload.	Ministerial.			with the instructions or	financial
						instructions or orders issued by	management; or
						Central	(v) banking and
						Government from	finance; or
						time to time.	(vi) Chartered
						Note:- The crucial	Accountancy; or
						date for	(vii) agri-business
						determining the	management; or
			4			age-limit shall be	(viii) rural development
			T.			the closing date for	and management;
			1			receipt of	or
						applications from	(ix) cooperation; or
			I.			candidates and not the closing date	(x) cooperative
						prescribed for those	management; or
						residing in Assam,	(xi) cooperation and
						Meghalaya,	banking; or
						Arunachal Pradesh,	(xii) agricultural
						Mizorum, Manipur,	economics; or
					I.	Nagaland, Sikkim,	(xiii) economics; or
		1				Lahual and Spiti	(xiv) commerce; or
						District and Pangi	(xv) statistics; or
						Sub- Division of	(xvi) public
						Chamba District of Himachal Pradesh	administration; or
1						and the Union	(xvii) public policy or
1				1		territories of	(xviii) social work; or
				1		Ladakh, Andaman	· ·
						and Nicobar Islands	(xix) post graduate diploma in rural
1			1			and Lakshadweep.	management or
1							sustainable rural
1							management or
1							agri-business
							management or
							public policy from
1							a recognised
							University;
				-			Experience:
							Five years experience in,-
		1					(i) cooperative sector; or
		1					(ii) cooperative banking;
1							or
							(iii) cooperative finance; or
							(iv) book keeping and
1			1		1		accounting of
							cooperative societies;
			i				or
							(v) agri business
							management; or
		1					(vi) agri economics; or
							(vii) rural development.

(8)	(9)	(1)	0)		(11)
Not	Two year.	(i) By	C		By Promotion:
		(i) By recruitment-cent. (ii) By promowhich by (including contract)- firm	fifty otion for deputes	per ailing tation term	From amongst Assistant Registrar in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed training of four weeks in the area of cooperation. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories administration or
			er.		Public Sector Undertakings or Universities or recognised research Institutions or Autonomous or Statutory Organisations or National Bank for Agriculture and Rural Development or State Cooperative Banks or District Central Cooperative Banks,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and
					experience as prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term).
					term contract) in another ex-cadre post held immediated preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment to deputation (including short terms contract) shall be nexceeding fifty six years as on the closing date of received application.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Con	nmittee (for	
considering promotion) consisting of :-		Consultation with Union Public Service Commission is
1. Joint Secretary (Administration),		necessary for filling up post by Direct Recruitment.
Ministry of Cooperation	- Chairman;	
2. Joint Secretary, Ministry of Cooperation	- Member;	In case of Promotion or Deputation (including short term
3. Director or Deputy Secretary,		contract), consultation with Union Public Service Condition
Ministry of Cooperation	- Member.	has been exempted.
Group 'A' Departmental Confirmation (
(for considering confirmation) consisting	of:-	
1. Joint Secretary (Administration),		
Ministry of Cooperation	- Chairman;	
2. Joint Secretary,		
Ministry of Cooperation	- Member;	
3. Director or Deputy Secretary,		
Ministry of Cooperation	- Member.	

M	linistry of Coo	operation	- M	lember.				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
4.	Assistant	6* (2023)	General	Level- 10	Selection.	Not exceeding thirty	Qualit	fication;
	Registrar.	* Subject to		in the pay		five years of age	Maste	er's Degree in
		variation dependent	Services, Group 'A,'	matrix (Rs.		Relaxable for the Government	(i)	law; or
		on	Gazetted, Non-			servants upto five	(ii)	agriculture; or
		workload.	Ministerial.	177500).		years in accordance	(iii)	banking; or
				-		with the instructions or order issued by the Central	(iv)	banking and financial management; or
						Government from time to time.	(v)	banking and finance; or
						Note:-The crucial date for determining the age-limit shall	(vi)	Chartered Accountancy; or
						be the closing date for receipt of	(vii)	agri-business management; or
						applications from candidates and not the closing date	(viii)	rural development and management; or
						prescribed for those residing in Assam,	(ix)	cooperation; or
						Meghalaya, Arunachal Pradesh,	(x)	cooperative management; or
						Mizorum, Manipur, Nagaland, Sikkim,	(xi)	cooperation and banking; or
						Lahual and Spiti District and Pangi	(xii)	agricultural economics; or
						Sub- Division of Chamba District of	(xiii)	economics; or
						Himachal Pradesh	(xiv)	commerce; or
						and the Union	(xv)	statistics; or
						territories of Ladakh, Andaman	, ,	public administration; or
						and Nicobar Islands	(xvii) public policy or
						and Lakshadweep.	(xvii	i) social work; or
225							(xix)	post graduate diploma in rural management or
								sustainable rural management or agri-business

		management or public policy from a recognised
		University Or Institution;
	E	perience:
,	TI	ree years experience in,-
		i) cooperative sector; or
		ii) cooperative banking;
		iii) cooperative finance; or
		iv) book keeping and accounting of cooperative societies; or
		v) agri business management; or
		(vi) agri economics; or
		(vii) rural development.

(8) (9)	(10)	(11)
Not applicable. Two years. Note-There shamandatory ind training of at two weeks dufor successions.	(i) By direct Recruitment-sixty be seven per cent. on ast(ii) By promotion on failing which by ful deputation the (including short term as contract)-thirty three the per cent.	By promotion: From amongst Senior Cooperative Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed training of four weeks in the area of cooperation. Note: Where juniors who have completed their gualifying or eligibility service are being considered for

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)		(13)				
Group 'A' Departmenta	l Promotion	Committee	(for	Consultation with the Union Public Service			
considering promotion) cons	isting of :-			Commission is necessary for filling up the post			
1. Chairman or Member,			by Direct Recruitment or Promotion.				
Union Public Service Comm	nission	 Chairman; 		In case of Deputation (including short term			
2. Joint Secretary (Administra	tion),			contract), consultation with Union Public Service			
Ministry of Cooperation		 Member; 		Commission has been exempted.			
3. Joint Secretary,				1			
Ministry of Cooperation		- Member.					
Group 'A' Departmental Co		nmittee (for					
considering confirmation) c	Ų						
1. Joint Secretary (Administra	tion),						
Ministry of Cooperation		 Chairman; 					
2. Joint Secretary,							
Ministry of Cooperation		- Member;					
3. Director or Deputy Secretar	y(Personnel),						
Ministry of Cooperation		- Member.					

(1)	(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
5. Senior	6* (2023)		General	C	entral	Level- 7	Selection.	Not	Not
Cooperativ	e*Subject	to	Service,	Group	'В',	in the pay matrix		applicable.	applicable.
Officer.	variation		Non-Gaz	etted,	Non-	(Rs. 44900-142400).			
	dependent	on	Ministeri	al.					
	workload.								

(8)	(9)	(10)		(11)
				By Promotion:
applicable.		(ii) By promotion which by dep (including short	failing tation term cent.	From amongst Junior Cooperative Officer in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years' regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks of training in Cooperative Development or Management or Rural Development or Management or Cooperative Banking or Finance or Accounts or Agri- Business Management or Agriculture Economics.
				Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion

to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories administration or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research Institutions or Autonomous or Statutory Organisations or National Bank for Agriculture and Rural Development or State Cooperative Banks or District Central Cooperative Banks,-

- a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience,-

Oualification:

Bachelor's Degree in

- (i) law; or
- (ii) agriculture; or
- (iii) banking; or
- (iv) banking and financial management; or
- (v) banking and finance; or
- (vi) Chartered Accountancy; or
- (vii) agri-business management; or
- (viii) rural development and management; or
- (ix) cooperation; or
- (x) cooperative management; or
- (xi) cooperation and banking; or
- (xii) agricultural economics; or
- (xiii) economics; or
- (xiv) commerce; or
- (xv) statistics; or
- (xvi) public administration; or
- (xvii) public policy or
- (xviii) social work from recognized University or Institute;

Experience;

two years experience in,-

- (i) cooperative sector; or
- (ii) cooperative banking; or
- (iii) cooperative finance; or
- (iv) book keeping and accounting of cooperative societies; or
- (v) agri business management; or
- (vi) agri economics; or
- (vii) rural development.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment

in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Comm	ittee (for	Not applicable.
considering promotion) consisting of :-		
1. Joint Secretary (Administration),		
Ministry of Cooperation	- Chairman;	
2. Joint Secretary,		8
Ministry of Cooperation	- Member;	
3. Director or Deputy Secretary (Personnel),		
Ministry of Cooperation	- Member.	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
6.	Junior Cooperative Officer,	6* (2023)	General Central Service, Group 'B', Non-	Level-6 in	Not applicable.	Not exceeding thirty	Bachelo (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (xii) (xii)	ation: rs Degree in law; or agriculture; or banking; or banking and financial management; or banking and finance; or Chartered Accountancy or agri-business management; or rural development and management or cooperation; or cooperation or cooperation and banking or agricultural economics; or
						and Laksnauweep.	(xii)	or cooperation and bankin or agricultural economics;
								economics; commerce;
						4	(xv)	statistics; or
								public administrati or

	(xvii) public policy
	or
	(xviii) social work from any
	from an
	recognised
	University of
	Institute;

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,	

(12)	(13)			
Group'B' Departmental Confirmation considering confirmation) consisting of:	Committee(for N	lot applicable.		
1. Joint Secretary (Administration),	- Chairman;			
Ministry of Cooperation - 2. Joint Secretary,	- Chamman,			
Ministry of Cooperation	- Member;			
3. Director or Deputy Secretary (Personal)	Mamhar			
Ministry of Cooperation	- Member.			

[No. A-48012/33/2022-Admn(CRCS)]

ALOK AGARWAL, Jt. Secy.